

27/11/26

उमयपत्र उपर। प्रार्थी निरीक्षक (बीज, उर्वरक, कीटनाशक)
एवं सहायक निदेशक कृषि (मु.) कार्यालय संयुक्त निदेशक
कृषि (बी.) जिला परिषद चॉलपुर ने पत्र दिनांक 27/11/26
से अवगत किया है कि प्रकृति में विनाशकारी रेफरी
समूहों का परीक्षण में मानक पोलिग्राफ प्राप्त होने की
स्थिति में अप्रार्थी के विच्छेद 6(A) Ec Act के तहत
कार्यवाही योग्य नहीं है। प्रार्थी की ओर से प्रकृति को
इसी स्तर पर स्वच्छिन्न किया जाने की आग्रहों की हैं।
अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर प्रकृति में कार्यवाही
इसी स्तर पर समाप्त की जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थी
स्वच्छिन्न किया जाता है। पत्रवली फ़ैसल शुमार होकर
नाम्बर से कम है। पत्रवली बाद तकनीक कार्यालय
दफ्तर है।

श्रीनिधि बी टी
जिला कनक्टर, चॉलपुर